

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

आदेश

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 की परिशिष्ट-1 परिभाषाएँ के कंडिका-2(iii) में औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक प्रांगण, समेकित आधारभूत संरचना विकास, निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क/निर्यात प्रोत्साहन जोन अथवा ग्रोथ सेंटर की स्थापना एवं विकास अंकित है, परन्तु टेक्सटाईल पार्क का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 के अन्तर्गत प्रावधानों की व्याख्या एवं समाधान के लिए प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 13.02.2015 को आयोजित बैठक में रखा गया कि टेक्सटाईल पार्क औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 से आच्छादित है अथवा नहीं। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से अनुशंसा की गई कि टेक्सटाईल्स पार्क को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 के तहत स्टाम्प ड्यूटी/निबंधन शुल्क एवं भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में छूट दिया जाय।

अतः समाधान समिति की अनुशंसा के आलोक में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अन्तर्गत निजी औद्योगिक क्षेत्र एवं फुड पार्क के तर्ज पर टेक्सटाईल पार्क को भी स्टाम्प ड्यूटी/निबंधन शुल्क एवं भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में छूट देने का प्रावधान किया जाता है।

प्रस्ताव पर माननीय उद्योग मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- /पटना, दिनांक:-

सं0सं0-4तक0/स्टाम्प ड्यूटी/15/2015

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

ह0/-

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- /पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- /पटना, दिनांक:-
प्रतिलिपि:- सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/उद्योग विभाग के सभी पदाधिकारी/निगम/
प्राधिकार/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग विभाग, बिहार,
पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं
रेशम, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, उद्योग, बिहार, पटना के आप्त सचिव एवं
प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- /पटना, दिनांक:-
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना के सचिव/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के
सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- /पटना, दिनांक:-
प्रतिलिपि:- जिला समाहर्ता-सह-अध्यक्ष, बिहार सिंगल विण्डो अधिनियम, 2006 के अधीन
गठित जिला स्तरीय समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 687 /पटना, दिनांक:- 21.04.15
प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को बेवसाईट पर देने हेतु
सूचनार्थ।

21.04.2015
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

21.4.15